प्रयोग

खनन विभाग ने उपखनिज के अवैध ट्रांसपोर्टेशन की रोकथाम के लिए बनाई रणनीति

अवैध खनन : कुंडली खोलेगा माइन-टैग, लगेगी लगाम

कार्यालय संवाददाता, हल्द्वानी

अमृत विचार : शासन ने उपखनिज के अवैध ट्रांसपोर्टेशन व ओवरलोडिंग में शिकंजा कसने के लिए तकनीकी को हथियार बनाया है। इसके तहत खनन वाहनों में माइन-टैग लगाना अनिवार्य किया गया है। इस टैग को स्कैन करते ही वाहन की कुंडली खुल जाएगी। यदि अवैध ट्रांसपोर्टेशन और ओवरलोडिंग होगी तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



भूतत्व एवं खनिकर्म अधिकारियों के अनुसार, राज्य में अवैध खनन की शिकायतें मिलती हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा शिकायतें होती हैं कि खनन विभाग में पंजीकृत वाहन अवैध ढंग से उपखनिज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऐसे में राजस्व की भी चोरी होती है। अब इस पर शिकंजा कसने के मकसद से खनन विभाग ने माइन टैग लगाने का निर्णय लिया है। यह टैग हर पंजीकृत वाहन पर लगेगा। इस टैग के बिना उपखनिज के लिए ई-रवन्ना जारी नहीं होगा। हर वाहन को माइन टैग लगाना अनिवार्य होगा।

ऐसे काम करेगा माइन टैग

फास्टटैग की तर्ज पर बनने वाले माइन टैग एक यूनिक टैग आईडी होगी। उपाखनिज निकासी गेट, जिलों के बॉर्डर पर चेकिंग प्वाइंट्स पर लगे कैमरों के जरिए इस आईडी को स्कैन किया जाएगा, स्कैन होते ही वाहन स्वामी का नाम, नंबर, क्षमता, प्रकार, जारी ई-रवन्ना (जिसमें उपखनिज की मात्रा भी होगी) आदि का पूरा ब्योरा मिल जाएगा। यदि चेकिंग टीम को लगता है कि अवैध ट्रांसपोर्टेशन या ओवरलोडिंग लगती है तो तत्काल कार्रवाई की जा सकती है।



सभी पंजीकृत खनन वाहनों के लिए माइन टैग अनिवार्य किया गया है। माइन टैग के बिना उपाखनिज का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है। ई-रवन्ना भी उसी वाहन को जारी होगा, जिसके वाहन में माइन टैग लगा होगा। इसका मकसद अवैध ट्रांसपोर्टेशन पर शिकंजा और राजस्व बढ़ाना है। **-राजपाल लेघा,** निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय देहरादून